न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सॉवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :–90/2012 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)(GCMS No.2012/00034)

1. करनसिंह
2. ओमप्रकाश
3. लालसिंह
4. सुरेश
5. महेश

पुत्रान स्व0 सुम्मेरा जाति जाटव निवासी नगला तुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

6. सरदेई पुत्री स्व0 सुम्मेरा जाति जाटव निवासी हाल मांगरेन जाट तहसील किरावली जिला आगरा ।

.....अपीलान्टस

बनाम

रामसिंह पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी नगला तुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

न्यायालय संभागीय आयुक्त * भरतपुर संभाग, भरतपुर *

अपीलअंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर दिनांक 27.03.2012 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.07.2011 ग्राम नगला तुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री हेमराज शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री महाराज सिंह वकील रैस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक – 25.07.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 27.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार रूपवास द्वारा नामान्तरकरण संख्या 209 से आराजी खसरा नम्बर 904 रकबा 8 बीघा 9 विस्वा हिस्सा 1/3 वहक रैस्पोडेन्ट खातेदार स्वीकृत किये जाने की आज्ञा दिनांक 25.07.2011 पारित की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स की ओर से तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष जरिये अपील चुनौती दी गई। तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलधीन आदेश दिनांक 27.03.2012 पारित करते हुये यह निर्णय दिया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 25.07.2011 को पटवारी हल्का

संभागीय आयुक्त
संभाग, भरतपुर

द्वारा उपखण्डाधिकारी, रूपवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2011 की पालना में जारी इजराय के आधार पर स्वीकृत किया गया है। डिक्री/निर्णय के प्रभाव में रहते हुये अपीलाधीन स्वीकृत नामान्तरकरण की प्रक्रिया में हम कोई त्रुटी नहीं पाते है। तदनुसार अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपील खारिज कर दी गई। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून कमीनाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। अदालत मातहत का आदेश न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जिस डिक्री व निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 209 तहसीलदार ने स्वीकृत किया है वह डिक्री उस दिन अंतिम नहीं थी तथा उसकी अपील मियाद के अन्दर करके स्थगन आदेश पारित हो गया था। अतः नामान्तरकरण प्री मैच्योर स्थिति में स्वीकृत किया था जो अवैधानिक था जो काबिले मंसूखी है। यह कि विवादित भूमि पर रैस्पोडेन्ट का मौके पर कब्जा नहीं था। अतः नामान्तरकरण खिलाफ मौका स्वीकृत किया है कब्जे बाबत कोई जांच नहीं की गई है। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्तनीय है। यह कि डिक्री सबज्यूडिस हो गई है तथा यह तथ्य माननीय प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत तथ्य है। ऐसी स्थिति में उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलेट न्यायालय के द्वारा निर्णय होने तक कार्यवाही स्थिगित करनी चाहिऐ थी। ऐसा नहीं करके तहत अदालत ने कानूनी भूल की है। यह कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 904 अपीलान्टस के पिता द्वारा अपनी पर्सनल आय से व्यक्तिगत रूप से करीब 60 साल पूर्व जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से क्रय की गई सम्पत्ति है तथा पिता के बाद विरासत में यह भूमि अपीलान्टस को प्राप्त हुई है एवं तत्समय से आज तक बदूस्तूर बिना किसी रूकावट के कब्जा काश्त करते आ रहे है। यह कि रैस्पोडेन्ट ने करीब 60 साल बाद एक फर्जी दावा उपखण्डाधिकारी के यहां पेश करके बिना कोई साक्ष्य पेश किये बिना तनकियां साबित किये एकतरफा कार्यवाही करके दावा डिक्री करा लिया जो कि अवैधानिक कृत्य है तथा उसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह कि पिछले 60 साल से अपीलान्ट अपने पिता के समय से विवादित भूमि पर काबिज है तथा भेज, लगान आदि वे ही भरते रहे है। रैस्पोडेन्ट का इस भूमि से कोई संबध नहीं है। यह कि अपीलान्टस उपखण्डाधिकारी के फैसले के विरूद्ध अपर न्यायालय में अपील कर उक्त न्यायालय के निर्णय को निरस्त कराने का अधिकार रखते

न्यायालय संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

...गीय आयुक्त
...पुर संभाग, भरतपुर

है। परीक्षण न्यायालय ने भी मात्र 14.07.2011 के निर्णय की पालना 11 दिवस के अन्दर 25.07.2011 को कर दी, जबकि नियमानुसार उपखण्डाधिकारी का निर्णय व डिक्री अपील करने की मियाद तक अंतिम नहीं माना जा सकता है तथा जब तक डिक्री अन्तिम नहीं हो जाती है। कानूनन उसकी इजराय नहीं हो सकती है। अतः इजराय की कार्यवाही एवं इनीसिया वॉइड है तथा उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक नामान्तरकरण वॉइड है व निरस्त योग्य था किन्तु तहत अदालत ने उक्त तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे की जांच किये खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 27.03.2012 एवं आदेश तहसीलदार रूपवास द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.07.2011 निरस्त किया जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त कलक्टर, भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2012 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्योंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं था। जिसका अपीलाधीन निर्णय में भी उल्लेख किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण उपखण्ड अधकारी द्वारा पारित निर्णय की पालना में स्वीकृत किया गया है जिसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2012 को यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने व मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त अपील मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुये दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को देखा जाना है। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2012 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.04.2012 को अपील पेश की गई है तथा अपील के साथ संलग्न अपीलाधीन निर्णयकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 13.04.2012 को प्राप्त की गई है। अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। यद्यपि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने व अपील पेश करने में हुये बिलम्व को कन्डौन किये जाने के संबंध में दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का कोई प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश नहीं किया है। परन्तु रैस्पोडेन्ट द्वारा भी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पेश करने में असाधारण बिलम्ब भी नही किया गया है, वरन् जानकारी होने के अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। इसके अलावा मियाद के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आरआरडी 2002 नेज 37 पर उद्धरित निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257 पर उद्धरित निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

अतः उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुये अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में उदार रूख रखते हुये उक्त अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहॉ तक प्रकरण के गुणावगुण पर प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2012 में हमें किसी तरह की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है। क्योंकि तहसीलदार रूपवास द्वारा नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.07.2011 उपखण्ड अधिकारी, रूपवास द्वारा पारित डिक्री व इजराय की पालना में खोला जाकर स्वीकृत किया गया है। वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि विवादित भूमि पर रैस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं था तथा डिक्री अन्तिम नहीं थी तथा अपीलान्ट न्यायालय का निर्णय होने तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित करनी चाहिये थी तो यह तर्क इसलिये सारहीन हो जाता है, क्योंकि तहसीलदार रूपवास द्वारा नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.07.2011 उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा पारित डिक्री व इजराय की पालना में खोला गया है, इसलिये कब्जे की जॉच किया जाना आवश्यक नहीं था। इसके अलावा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर ने अपीलाधीन निर्णय में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.07.2011 उपखण्ड अधिकारी रूपवास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2011 की पालना में जारी इजराय के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करते वक्त कोई स्थगन आदेश भी विद्यमान नहीं था। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दिनांक 01.09.2011 को जारी किया गया है। इससे

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पूर्व ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने में कोई अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि वकील अपीलान्ट द्वारा इस तरह की कोई नजीर पेश नहीं की जिसमें इस तरह का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपीलान्ट न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के आधार पर नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिये। नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही सूक्ष्म वित्तीय कार्यवाही हैं, जिसके द्वारा किसी भी पक्ष के हक हकूकों/ स्वामित्व तय नहीं होता है। वरन् हक हकूकों व स्वामित्व सक्षम न्यायालय द्वारा दावे में तय किये जा सकते हैं। उक्त प्रकरण में भी वकील अपीलान्ट के अनुसार प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त न्यायालय द्वारा जब भी अपील में कोई निर्णय किया जायेगा उसके अनुसार नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही पुनः की जा सकती है। परन्तु अपीलान्ट द्वारा जिन बिन्दुओं के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.07.2011 को खारिज करवाने की इस्तदुआ की जा रही है, वह उचित प्रतीत नहीं होती है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2012 में भी विद्वान अतिरिक्त जिला कलटर, भरतपुर द्वारा विस्तृत व स्पीकिंग निर्णय पारित करते हुये नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.07.2011 जो तहसीलदार, रूपवास द्वारा स्वीकृत किया गया है में कोई त्रुटि होना नहीं माना है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2012 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर